

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) मावली, उदयपुर

प्रार्थी : श्री छगनलाल

किस्म मुकदमा –विविध आ.9नि.9

विपक्षी : श्री विशाल

पत्रावली संख्या : 77 / 24

जीसीएमएस : 2024 / 301

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाली तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 10.01.2025</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 4, 9, 10 की अन्डरटेंकिंग अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र पालीवाल द्वारा दिनांक 29.08.2024 को ली गई थी परन्तु अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक तक वकालतनामा मय जवाब पेश नहीं किया गया। अतः अधिवक्ता द्वारा ली गई अन्डरटेंकिंग खारिज की जाती हैं। अधिवक्ता प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 12 की बहस सुनी गई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। मूल पत्रावली संख्या 212/15 वाद का अवलोकन किया। प्रकरण में दिनांक 22.12.2023 को वादी मय अधिवक्ता अनुपस्थित रहने पर वाद अदम हाजरी में खारिज किया गया था। अधिवक्ता द्वारा दिनांक 25.07.2024 को मूल प्रकरण को नम्बर पर लिया जाने हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 के तहत प्रस्तुत कर दिया गया है। चूंकि प्रकरण में प्रार्थी/वादी का हित निहित होने से वादी को सुना जाना न्यायहित में आवश्यक है। विपक्षीगण का यह कहना की प्रार्थी द्वारा 7 माह बाद यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, इसलिये खारिज किया जावे, चूंकि यह तकनीकी बिन्दू है एवं केवल इसी बिन्दू को आधार मानते हुए यदि प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तो प्रार्थी के साथ न्याय नहीं होगा। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में रिश्तेदारी में मौत होने का कथन किया है। मामला कृषि भूमि का होकर केवल बंटवाडे का है जिसमें प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14.05.2016 को पारित की जा चुकी हैं। प्रकरण में मात्र अन्तिम डिक्री के सम्बन्ध में निर्णय पारित किया जाना है। इस प्रकार प्रकरण अंतिम स्तर पर हैं। प्रकरण को सुना जाकर अन्तिम डिक्री पर निर्णय किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र कोस्ट पर स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित पाया जाता है।</p> <p>—: आदेश :—</p> <p>परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 जा. दी. का 1000/— एक हजार रूपया कोस्ट पर स्वीकार किया जाकर इस न्यायालय के प्र.स. 212/15 वाद छगनलाल बनाम भंवरलाल में आदेश दिनांक 22.12.2023 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद को पुनः नम्बर पर लिया जाने का आदेश दिया जाता है। प्रकरण में प्रार्थी उक्त कोस्ट की राशि राजकोष में जरिये चालान जमा करा चालान की प्रति पत्रावली में पेश करे। इस प्रकरण में सभी पक्षकारान की तामील नहीं होने से मूल प्रकरण में प्रार्थी सभी पक्षकारान की तामीले पुनः पेश करें। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूल पत्रावली के साथ संलग्न रहे। उभय पक्षकारान मूल वाद में दिनांक 10.03.2025 को उपस्थित रहे। निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।</p> <p>(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>	

